न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 135/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/308

उनवान

रुकमणी पुत्री गिर्राज पत्नी चेतराम जाति हैवासी, निवासी मनोहरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर। .....अपीलान्टा

बनाम

1. लक्ष्मण
2. गोपाल
3. श्यामसुन्दर } पिस0 गिर्राज
4. गोविन्दराम
5. दयाली
6. मनोज पुत्र गोपाल
7. विश्वेन्द्र पुत्र लक्ष्मण
8. सुरेशचंद पुत्र लक्ष्मण
9. रामदेई पत्नी गिर्राज (मृतक)
10. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार

जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी नयावास तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स 144/2013 बउनवानी रुकमणी बनाम गिर्राज में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2024 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,3,4,6,7 व 8 श्री राजेश कुमार सोगरवाल उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.03.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा मु.स 144/2013 बउनवानी रुकमणी बनाम गिर्राज में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2024, दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53 व 188 आर.टी.एक्ट के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी/अपीलान्टा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वर्णित वादपत्र मद सं. 2 वाके ग्राम नयावास तहसील नदबई पर वादिनी को प्रतिवादी सं. 1 के साथ, तरतीवी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रतिवादी सं. 5 लगायत 10 सहित बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा दानपत्र दिनांक 15.05.2013 व हक वादिनी व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 बातिल व बेअसर घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तद्उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.08.2024 को निर्णय पारित कर वादीनी का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री जारी कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सोनीराम शर्मा एंव रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,3,4,6,7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सोगरवाल ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बरान 532, 533, 536, 549, 900, 901, 933, 934, 1239, 1240, किता 10, खाता संख्या 22 एवं खसरा नम्बरान 84, 86, 94, 95, 462, 473, 528, 529, 530, 531, 534, 535, 545, 547, 548, 551, 552, 553, 565, 937, 1084, 1333, 1338, 1347, किता 24 रकबा 9.85 में 1/2 हिस्सा के खातेदार गिर्राज पुत्र खुशीराम है। वादिनी अपीलान्टा द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी पैत्रिक है और को–पार्सनर होने के नाते वादिनी पिता के साथ सहखातेदार है। चूंकि पिता गिर्राज ने उक्त आराजी के अपने हिस्सा में से खाता संख्या 22 से 2/5 हिस्सा का तथा खाता संख्या 25 में से 1/5 हिस्से का दानपत्र दिनाँक 15.05.2013 को अपने नाती प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 8 को तस्दीक करा दिया है। जो वादिनी के हिस्से तक बातिल व शून्य है। प्रतिवादीगण द्वारा अपना जबाव दावा प्रस्तुत किया जिसमें आराजी खसरा नम्बरान 532, 549,901,933, 1239, 1240, मुन्दर्जा खाता संख्या 22 एवं खसरा नम्बर 84, 86, 94, 900, 66, 67, 74, 755, 791 मुन्दर्जा खाता सं. 25 को गिर्राज पिता वादिनी ने जरिये डिक्री दिनांक 30.01.1986 से प्राप्त करना बताया है इसलिये उनकी स्वअर्जित आराजी है शेष आराजी पैत्रृक है। दावा जवाबदावा के आधार पर तनकी कायम की गई। दौराने दावा वादिनी के पिता श्री गिर्राज की मृत्यु हो गई। गिर्राज मृतक के वारिसान वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 5 लगायत 10 जो अपील में रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 5 व 9 है। गिर्राज की छोडी हुई आराजी पर विरासतन काबिज हो गये। अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दावा निर्णीत करना चाहिये था। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत व खिलाफ कानून पूर्व निर्धारित तनकीयात पर निर्णय करने में भारी भूल की है। दानपत्र दिनांक 15.05.2013 को गिर्राज द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 8 को विवादित आराजी का तस्दीक कराया गया है उसमें जो आराजी पैत्रिक थी वहां तक वादिनी के हितों तक दानपत्र शून्य था मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दानपत्र में अंकित आराजी को छोड़कर दावा डिक्री किया है जो गलत है व काबिल मंशुखी है। पिता गिर्राज की मृत्यु हो जाने के बाद वादिनी स्वअर्जित व पैत्रिक सम्पूर्ण आराजी की में 1/7 हिस्सा की विरासतन खातेदार हो गई। विवादित आराजी में खसरा नम्बरान 532, 549, 900, 901, 933, 1239, 1240, 934

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

खाता सं. 22 एवं खसरा नम्बर 95, 462, 473, 528, 529, 530, 531, 534, 535, 545, 547, 548, 551, 552, 553, 565, 1084, 1333, 1338, 1347 मुन्दर्जा खाता सं. 25 में रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 5 व 9 को खातेदार घोषित किया है जो गलत व खिलाफ कानून है उक्त आराजी में वादिनी अपीलान्ट भी हिस्सा बराबर की कानूनन खातेदार है। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 2012(4) RLW 3050 न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2024 को निरस्त फरमाया जाकर दावा को पुनः नये सिरे से तनकी कायम कर मुताबिक कानून निर्णय के लिये रिमाण्ड फरमाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 गिर्राज पुत्र खुबीराम विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था जिसने अपनी खातेदारी की आराजी का पूर्ण उपयोग व उपभोग व रहन, बय, मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार था जिसने अपनी स्वेच्छा से सभी पुत्रों की सहमति से प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 को दान–पत्र कर दिया था। विवादित आराजी का रजिस्टर्ड दानपत्र है जिसका दाखिल खारिज भी हो चुका है एवं रजिस्टर्ड दानपत्र को केन्सिल कराने के लिए अपीलान्ट को सिविल न्यायालय में दावा पेश करना चाहिए था दानपत्र को केन्सिल करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। अपीलान्ट द्वारा दिया गया न्यायिक दृष्टान्त बयनामा का है जबकि गैरखातेदार को Transferable right नहीं होते हैं। गैरखातेदारी से खातेदारी होने से वह गिर्राज को स्वअर्जित सम्पत्ति प्राप्त हुई थी। दानपत्र सही किया गया है यह पैतृक सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती है। उक्त रजिस्टर्ड बयनामा में स्पष्ट लिखा गया है कि कब्जा दिया एवं लिया। उक्त अपील नामान्तरकरण की नहीं होने से यहां पर consider नहीं किया जाएगा। वादिनी का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा व काश्त नही रहा है तथा ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रुप से सही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 24.09.2024 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाबदावा के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी सं. 1 :– आया विवादित आराजी में वादिनी को प्रति० संख्या 1 के साथ व त. प्रति० 5 लगा० 10 सहित व हिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जावे।

तनकी सं. 2 :– आया विवादित आराजी पर वादिनी का कब्जा नहीं है। तथा गांव मनोहर पुर लिखाया है। जो गलत है। अतः दावा काबिल खारिजी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 1 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

तनकी संख्या 1. आया विवादित आराजी में वादिनी को प्रति0 संख्या 1 के साथ व त. प्रति० 5 लगा० 10 सहित बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जावे।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी का है। वादिया ने अपने बाद पत्र में वर्णित आराजी को संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित आराजी माना है। जो प्रतिवादी सं. 1 को वादिनी के बाबा खुशीराम से प्राप्त होना बताया है। इसी आधार पर वादिया ने सम्पूर्ण आराजी में 1/7 हिस्से के खातेदारी अधिकार का अनुतोष चाहा गया है। परन्तु मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल खसरा संख्या 532/0.10, 549/0.09, 901/0. 23, 933/0.33, 1239/0.85, 1240/1.25 कुल किता 6 रकबा 2.85 है० जिसके साबिक खसरा संख्या 439, 455, 756, 788, 1062, 1063 है। जिसका खातेदार गिर्राज पुत्र खुशीराम को जरिये डिक्री दिनांक 30.01.1986 न्यायालय उपजिलाधीश भरतपुर कैम्प नदबई से खातेदारी प्राप्त हुई थी। जो मृतक गिर्राज की स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। इसी प्रकार हाल खसरा संख्या 84/0.30, 86/0.51, 94/0.08, 900/0.24, 937/0.18. कुल किता 5 रकबा 1.31 है। जिसके साबिक खसरा संख्या 66, 67, 74, 755, 791 है। जिसका खातेदार गिर्राज पुत्र खुशीराम को जरिये डिक्री दिनांक 30.01.1986 न्यायालय उपजिलाधीश भरतपुर कैम्प नदबई से खातेदारी प्राप्त हुई थी। जो मृतक गिर्राज की स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। उक्त भूमि को गिर्राज को विरासत से प्राप्त हुई भूमि नही माना जा सकता है। इस प्रकार खाता संख्या 22 में खसरा संख्या 533/0.42, 536/0.25 एवं 934/0.75 कुल किता 3 रकबा 142 है० भूमि पैतृक आराजी है। तथा खाता सख्या 25 में खसरा संख्या 95/0.72 462/0. 89, 473/0.85, 528/0.15, 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0. 22, 545/0.12, 547/0.40, 548/0.37, 551/0.33, 552/0.47, 553/0.56, 565/0. 53, 1084/0.34, 1333/0.71, 1338/0.45, 1347/0.39 किता 20 कुल रकबा 8.79 में से 1/2 हिस्सा भूमि पैतृक आराजी है।

इसके पश्चात् मृतक खातेदार गिर्राज ने अपनी खातेदारी की खाता सख्या 22 के आराजी खसरा नम्बर 532/0.10, 533/0.42, 536/0.25 549/0.09, 900/0. 24, 901/0.23, 933/0.33, 934/0.75, 1239/0.85, 1240/1.25 किता 10 सम्पूर्ण हिस्सा व खाता संख्या 25 के आराजी खसरा नं. 84/0.30. 86/0.51, 94/0.08, 95/0.72, 462/0.89, 473/0.85, 528/0.15, 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0.22, 545/0. 12, 547/0.40, 548/0.37, 551/0.53, 552/0.47 553/0.56, 565/0.53, 937/0.18, 1084/0.34, 1333/0.71, 1338/0.45, 1347/0 39 किता 24 कुल रकबा 9.85 हिस्सा 1/2 बांके ग्राम नयावास तहसील नदबई को मनोज कुमार पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2 विश्वेन्द्र कुमार, सुरेश चंद पुत्र लक्ष्मण प्रसाद हिस्सा 1/2 वहिस्सा बराबर को दिनांक 15.06.2013 को रजिस्टर्ड दानपत्र प्रदर्श 1 द्वारा दान की जा चुकी है। रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर दान ग्रहिता के पक्ष में नामान्तरण खोला जाकर स्वीकार किया गया। और वर्तमान में दान ग्रहिता विवादित आराजी में सहखातेदार दर्ज है। चूंकि दान ग्रहिता जनों के पक्ष में किया गया। रजिस्टर्ड दान पत्र है। जिसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। यदि वादिया को रजिस्टर्ड दान पत्र से किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी। तो वह सक्षम न्यायालय में ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अन्दर मियाद रहकर कार्यवाही कर सकती थी। जबकि वादिया को उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र की पूर्व से ही जानकारी है। पैतृक आराजी में भी मृतक खातेदार गिर्राज प्रसाद अपने हिस्से तक आराजी का रहन विक्रय दान पत्र द्वारा हस्तानान्तरित करने के लिये स्वतंत्र था।

इस प्रकार खाता सख्या 22 में खसरा संख्या 533/0.42, 536/0.25 एवं 934/0.75 कुल किता 3 रकबा 1.42 है० भूमि पैतृक आराजी होने एवं उसमे से 2/5 हिस्सा दान होने के कारण मात्र 0.85 है० भूमि खातेदार मृतक गिर्राज पुत्र खुशीराम के द्वारा विरासतन छोडी गयी है। जिसमें से आराजी खसरा संख्या 934/0.75 मे से 3625 वर्गमीटर का भूमि रूपान्तरण हो चूका है। जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। इस प्रकार इस खाते में 0.49 है० भूमि शेष रहती है। तथा खाता सख्या 25 में खसरा संख्या 95/0. 72, 462/0.89, 473/0.85, 528/0.15, 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0.22, 545/0.12, 547/0.40, 548/0.37. 551/0.33, 552/0.47, 553/0.56, 565/0. 53, 1084/0.34, 1333/0.71, 1338/0 45, 1347/0.39 किता 20 कुल रकबा 8.79 में से 1/2 हिस्सा भूमि पैतृक आराजी होने एवं उसमे से 2/5 हिस्सा दान होने के कारण मात्र 2.63 है० भूमि खातेदार मृत्तक गिर्राज पुत्र खुशीराम के द्वारा विरासतन छोडी गयी है।

इस प्रकार हम यह पाते हैं कि मृतक खातेदार द्वारा स्वअर्जित आराजी तथा पैतृक आराजी में दान पत्र के पश्चात् शेष भूमि खाता संख्या 22 में खसरा संख्या 533/0.42, 536/0.25 एवं 934/0.75 कुल किता 3 रकबा 1.42 है0 में 3/5 हिस्से में तथा खाता सख्या 25 में खसरा संख्या 95/0.72, 462/0.89, 473/0.85 528/0.15. 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0.22, 545/0.12, 547/0.40, 548, 0.37, 551/0.33, 552/0.47, 553/0. 56, 565/0.53, 1084/0.34, 1333/0.71, 1338/0.45, 1347/0.39 किता 20 कुल रकबा 8. 79 में 3/10 हिस्से में वादिया मृतक गिर्राज के वारिसान लक्ष्मण, गोपाल, श्यामसुन्दर, गोविन्दराम, दयाली एवं रामदेई (प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10) के साथ ही अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादिया वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण आराजी को पैतृक सिद्ध कर पाने में आंशिक रूप से सफल रही है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 आंशिक रूप से वादिया के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 2 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

तनकी संख्या 02 आया विवादित आराजी पर वादिनी का कब्जा नहीं है। तथा गांव मनोहर पुर लिखाया है। जो गलत है। अतः दावा काबिल खारिजी है।

आया विवादित आराजी पर वादिनी का कब्जा नहीं है। तथा गांव मनोहर पुर लिखाया है। जो गलत है। अतः दावा काबिल खारिजी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादिया को है। उक्त आराजी पर मुताबिक वादिया साक्ष्य व वादिया की ओर से हरदयाल पुत्र रामहरी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादिया का उक्त विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। ना ही कोई काश्त की है। चूकि प्रतिवादीगण का निवास स्थान नयावास में ही है। जबकि वादिया द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करते समय मनोहरपुर अंकित कर दिया गया था। जिसे बाद में नयावास संशोधित कर दिया गया है। कब्जा प्रमाणित किये जाने में वादिया असफल रही है। अतः तनकी वादिनी के विरूद्ध तय की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय हाजा का निर्णय निम्न प्रकार है :–

सम्पूर्ण रुप से तनकी सं. 1 व 2 एवं अपीलान्ट वादिनी द्वारा पेश वादपत्र एवं उसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा का मत निम्न प्रकार है :–

अपीलान्ट वादिनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर यह अभिवचन किया कि खाता सं. 22 के आराजी खसरा नम्बर 532/0.10, 533/0.42, 536/0.25, 549/0.09, 900/0.24, 901/0.23, 933/0.33, 934/0.75, 1239/0.85, 1240/1.25 किता 10 सम्पूर्ण हिस्सा व खाता सं. 25 के आराजी खसरा नम्बर 84/0.30, 86/0.51, 94/0.08, 95/0.72, 462/0.89, 473/0.85, 528/0.15, 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0.22, 545/0.12, 547/0.40, 548/0.37, 551/0.33, 552/0.47, 553/0.56, 565/0.53, 937/0.18, 1084/0.34, 1333/0.71, 1338/0.45, 1347/0.39 किता 24 कुल रकबा 9.85 हिस्सा 1/2 वाके ग्राम नयावास तहसील नदबई में स्थित है जिसके प्रतिवादी सं. 1 रिकार्डेड खातेदार हैं। वादिनी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं, प्रतिवादी सं. 1 वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 5 लगायत 9 का पिता है व प्रतिवादी सं. 10 का पति है। तथा प्रतिवादी 2 लगायत 4 प्रतिवादी सं. 1 के नाती है जो प्रतिवादी सं. 5 व 6 के पुत्र हैं। उक्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित आराजी है जो प्रतिवादी सं. 1 को वादिनी के बाबा खुबीराम से प्राप्त आराजी है तथा वादिनी को संशोधन अधिनियम 2005 से अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 के जीवनकाल में अन्य वारिसान भाईयों सहित प्रतिवादी सं. 1 के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं जिसकी वादिनी अधिकारिणी है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन करापाने की अधिकारी हैं। अपीलान्ट वादिनी ने वादपत्र की मद सं. 5 में यह अभिवचन किया है कि आराजी वर्णित मद सं. 2 वादपत्र के खाता सं. 22 किता 10 कुल रकबा 4.51 हैक्टर अपने सम्पूर्ण हिस्से से हिस्सा 2/5 तथा खाता सं. 25 के किता 24 रकबा 9.85 हिस्सा 1/2 में से 1/5 हिस्सा वाके ग्राम नयावास तहसील नदबई को दानपत्र दिनांक 15.05.2003 को प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 के हक में जो कि प्रतिवादी सं. 1 के नाती हैं व प्रतिवादी सं. 5 व 6 के पुत्र हैं निष्पादित करा दिया है जो कि वादिनी व प्रतिवादी सं. 7 लगायत 10 जो कि उसके पुत्रगण हैं के हक को मारने के लिए उक्त दानपत्र केवल दो पुत्रों के पुत्रों को कराया है जबकि आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा किए प्रतिवादी सं. 1 को उक्त दानपत्र कराने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है, लिहाजा उक्त दानपत्र वादिनी के खिलाफ बातिल व बेअसर है। तथा प्रतिवादी सं. 1 को अपने हिस्से से अधिक दानपत्र कराने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है, उक्त दानपत्र के माध्यम से किसी हिस्से विशेष का दानपत्र कानूनन वैध नहीं है व निरस्तनीय है, उक्त दानपत्र के माध्यम से किसी भी हिस्से का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही प्राप्त किया गया है। वादिनी वर्णित आराजी वर्णित मद सं. 2 वादपत्र वाके ग्राम नयावास अपने हिस्से के मुताबिक काबिज हैं व काश्त करती चली आ रही है, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात व उसके द्वारा किए गए दानपत्र दिनांक 15.03.2013 के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ने आराजी मुतनाजा का दाखिला अपने नाम दर्ज कराकर बेदखल करने व दीगर व्यक्ति को रहन, बय, मुन्तकिल करने की धमकी दिनांक 05.09.2013 को दी है, अगर प्रतिवादीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गए तो वादी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से न हो सकेगी जिस वजह से वादीनी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार की जारी करा पाने की अधिकारणी है कि वादिनी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल नहीं करे, रहन बय मुन्तकिल न करे। वादपत्र के अनुतोष में वादिनी द्वारा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 के साथ प्रतिवादी सं. 5 लगायत 10 सहित बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने एवं दानपत्र दिनांक 15.05.2013 बहक वादिनी व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 बातिल व बेअसर घोषित किया जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को प्रतिबन्धित किए जाने का मांगा गया।

प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु के बाद दायर करने के उपरान्त दिनांक 17.01.2015 को हो जाने से उसके वारिसान पूर्व से ही वाद में पक्षकार संयोजित होने एवं रिकार्ड पर होने से वादिनी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया गया एवं संशोधित शीर्षक पेश करने के आदेश दिनांक 24.06.2015 को प्रदत किए गए लेकिन कोई संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया गया तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किया गया।

प्रतिवादीगण सं. 2 से 9 ने अपना जबाबदावा पेश कर वादपत्र की मद सं. 1 को स्वीकार किया है तथा कुछ मदों में वादपत्र की मद को आंशिक अस्वीकार किया है एवं कुछ मदों में पूर्ण रुप से अस्वीकार किया हे वादपत्र में अकित सजरा का भी गलत दर्शाना अंकित किया है। वादीनी ससुराल से रहती है एवं उसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है तो प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा धमकी दिए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दानपत्र किए जाने को विधिसम्मत बताया है। दानपत्र रजिस्टर्ड है जिसको केन्सिल कराने के लिए सिविल न्यायालय में दावा करना चाहिए था, दावा केन्सिल करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस विनाय पर दावा काबिल खारिजी के है। दानपत्र की तिथि में ही विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 काबिज काश्त करते हुए चले आ रहे हैं तथा वादिनी का विवादित आराजी पर कब्जा व काश्त नहीं रहा है तथा ना ही वर्तमान में कब्जा व काश्त है। कब्जे के अभाव में दावा वादिनी काबिल खारिज के है। वादिनी ने अपने वादपत्र में हम प्रतिवादीगण का गांव मनोहरपुर तहसील नदबई लिखाया है जो गलत है। इस प्रतिवादीगण का गांव नसावास तहसील नदबई है। इस विनाय पर दावा वादिनी काबिल खारिजी के है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 29.03.2016 को निम्न प्रकार 3 तनकीयात कायम की गयी :–

(1) आया विवादित आराजी में वादिनी को प्रतिवादी सं. 1 के साथ तरतीवी प्रतिवादी 5 से 10 सहित बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जावे। जिम्मेवादिनी

(2) आया विवादित आराजी पर वादिनी का कब्जा नहीं है तथा गांव मनोहरपुर लिखाया गया है जो गलत है। अतः दावा काबिल खारिजी के है। –जिम्मेप्रतिवादी

(3) दीगर दादरसी

इन्ही तनकीयात के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.08.2024 पारित किए हैं जबकि प्रतिवादी सं. 1 फौत हो चुका है। वादिनी ने वादग्रस्त आराजी में उसके पैतृक आराजी का अभिवचन करते हुए खातेदार कातश्कार होने की घोषणा चाही है साथ ही उसके पिता प्रतिवादी सं. 1 मृतक द्वारा प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सं. 2 से 4 के पक्ष में किए गए दानपत्र को भी अपने हक हिस्से तक बातिल व बेअसर घोषित किया जावे का अनुतोष मांगा गया है लेकिन दानपत्र के सम्बन्ध में कोई तनकी निर्मित नहीं की गयी, केवल तनकी सं. 1 में ही इस बारे में अंकन कर दिया। इसी प्रकार वादिनी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी मांगा गया है इस बाबत भी तनकी निर्मित नहीं की गयी। तनकी सं. 1 भी प्रतिवादी की मृत्यु होने पर तद्नुसार संशोधित की जानी चाहिए थी एवं तनकी सं. 2 में से गांव मनोहरपुर लिखाया गया है जो गलत है" को भी संशोधित नहीं किया है क्योंकि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने भी यह अंकन किया है कि मनोहरपुर को संशोधित कर नयावास कर दिया है तो इस पद की आवश्यकता ही नही थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र एवं जबाबदावा के आधार पर जो तनकीयात कायम की जानी चाहिए थी वे कायम नहीं की गयी जिससे वाद का सम्पूर्ण विचारण नहीं हो पाया है। इसलिए उपर्युक्तानुसार तनकीयात कायम कर उनके सम्बन्ध में उभयपक्ष की साक्ष्य आदि लेकर एवं समुचित सुनवाई करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनर्विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट्स आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.08.2024 अपास्त किए जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, साक्ष्य, सबूत लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई के समक्ष दिनांक 28.04.2026 को पेश हों।

10. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर